

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक/अका./2021/6216

जबलपुर, दिनांक 20/12/2021

प्रति,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त,
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के,
प्राचार्यगण

विषय – सत्र 2022-2023 की वार्षिक सम्बद्धता शुल्क/निरंतरता शुल्क बावत् ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित है कि परिनियम 27 की धारा 13 (3) (ii) के अंतर्गत Every college or institution admitted to the university shall pay to the university each year continuation of annual affiliation fees, अतएव आप अपने महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों की वार्षिक सम्बद्धता शुल्क/निरंतरता शुल्क दिनांक 15/12/2021 से दिनांक 15/01/2022 तक अनिवार्य रूप से एम0पी0 ऑनलाईन के माध्यम से जमा करें। जिससे आपके महाविद्यालय की संबद्धता/निरंतरता संबंधी कार्यवाही की जाये। शुल्क के अभाव में निरंतरता/अस्थायी संबद्धता बाधित होती है तो सम्पूर्ण जवाबदेही महाविद्यालय की होगी।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें ।

कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।

पृ0 क्रमांक/अका./2021/6216'अ'
प्रतिलिपि सूचनार्थ –

जबलपुर, दिनांक 20/12/2021

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग जबलपुर ।
2. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
3. नोडल अधिकारी ऑन लाईन (नोडल सेंटर) से इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अवधि में पोर्टल खोलने की व्यवस्था करें ।
4. कुलपति जी/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

for
सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।